



Australian Government

Department of Home Affairs

## Health undertaking

स्वास्थ्य वचन-पत्र

Form

815 HIN

HINDI

आवश्यक - अपने वचन-पत्र को भरने से पहले, कृपया इस जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। और हम जोर देकर सुझाव देते हैं कि इस वचन-पत्र को पूरा करने के बाद इसकी प्रतिलिपि बना कर अपने रिकॉर्ड में रखें।

### स्वास्थ्य वचन-पत्र पर हस्ताक्षर करना किसके लिए आवश्यक है?

स्वास्थ्य वचन-पत्र उन आवेदन-कर्ताओं के लिए आवश्यक है जिनकी स्वास्थ्य जाँच से क्षय रोग (tuberculosis) या किसी अन्य चिन्ताजनक बीमारी होने का पता चलता है।

### स्वास्थ्य वचन-पत्र किस लिए है?

ऑस्ट्रेलिया में क्षय रोग को जनता के लिए एक गम्भीर छूत की बीमारी माना जाता है। क्षय रोग का इलाज हो सकता है और इस स्वास्थ्य वचन-पत्र का उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि जो लोग अब ऑस्ट्रेलिया में हैं और जिनको यह खतरा है कि उनका क्षय रोग सक्रिय हो सकता है उनकी उचित रूप से लगातार सहायता की जाए।

आपके आकलन के समय, हमारे डॉक्टर संतुष्ट थे कि आपकी तपेदिक सक्रिय नहीं थी। परन्तु, व्यक्तिगत खतरा कारकों का अर्थ है कि कुछ लोगों को ऑस्ट्रेलिया में फॉलो-अप (बाद में निरीक्षण) की ज़रूरत होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रोग विकसित नहीं हो गया है।

हो सकता है कि आपको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी या कुछ रोग जैसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के कारण स्वास्थ्य वचन-पत्र जारी किया गया हो।

स्वास्थ्य वचन-पत्र एक समझौता है जो ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ किया जाता है, जिसके अनुसार आपके लिए यह अनिवार्य है कि लगातार स्वास्थ्य जाँच के लिए स्वास्थ्य प्राधिकरण क्लिनिक की अपॉइंटमेंट में आप जाएँ। इस स्वास्थ्य वचन-पत्र पर हस्ताक्षर करने पर आप यह भी मानते हैं कि स्वास्थ्य क्लिनिक अधिकारी जो भी इलाज या जाँच करवाने का निर्देश देंगे वह आप करवाएँगे।

ऑस्ट्रेलिया में आने के 4 सप्ताह के अंदर आपके लिए स्वास्थ्य वचन-पत्र सेवा [Health Undertaking Service (HUS)] से संपर्क करना अनिवार्य है। यदि आपको वीजा ऑस्ट्रेलिया में ही मिला है तो, आपको HUS से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रवासन मेडिकल सेवा प्रदायक (Migration Medical Services Provider) ने आपके बारे में पहले से ही किसी ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य क्लिनिक को आपके बारे में बता दिया है।

### अब मुझे क्या करना चाहिए?

यदि आप स्वास्थ्य वचन-पत्र का पालन करने के लिए तैयार हैं तो आपको इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करके आप्रवासन व सीमा सुरक्षा घरेलू मामलों विभाग (विभाग) [Department of Home Affairs (the Department)] के उस कार्यालय को भेजें जहाँ आपके वीजा के आवेदन-पत्र पर कार्यवाही की जा रही है।

यदि आवेदन-पत्र भजने वाला 16 वर्ष से छोटा नाबालिग है तो माता-पिता या अभिभावक को 815 फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होंगे।

इसके बाद आपको इस फॉर्म की प्रतिलिपि भेजी जाएगी। कृपया प्रतिलिपि अपने पास रखें क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहुँचने के बाद जब आप HUS से संपर्क करेंगे तब यह प्रतिलिपि आपको यह चाहिए होगी।

### यदि मैंने विदेश में आवेदन-पत्र दिया है और मुझे वीजा मिलने पर मैं ऑस्ट्रेलिया आ जाता हूँ तो उसके बाद क्या होगा?

ऑस्ट्रेलिया की सरकार निःशुल्क प्रारम्भिक स्वास्थ्य जाँच प्रदान करती है जिससे निकट संबंधियों, मित्रों व समुदाय में क्षय रोग के फैलने के खतरों को कम से कम किया जा सके।

ध्यान दें: अपॉइंटमेंट जल्द लेना आपके हित में होगा।

यदि इस आवेदन-पत्र के लिए स्वास्थ्य जाँच आपने ऑस्ट्रेलिया से बाहर पूरी की है तो

जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुँचते हैं तो आपके लिए स्वास्थ्य वचन-पत्र सेवा [Health Undertaking Service (HUS)] से संपर्क करना अनिवार्य है। ऑस्ट्रेलिया पहुँचने के बाद 4 सप्ताह के अन्दर ही आपको HUS से मिलने का समय पक्का करना आवश्यक है। आप HUS से कैसे संपर्क कर सकते हैं, इस जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर देखें: <https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/health/health-undertaking>

यदि इस आवेदन-पत्र के लिए स्वास्थ्य जाँच आपने ऑस्ट्रेलिया में पूरी की है तो

यदि आप अपने वीजा के लिए ऑस्ट्रेलिया में आवेदन-पत्र देते हैं तो जब आप इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करेंगे तब जहाँ भी आवश्यकता होगी उस ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य क्लिनिक में आगे जाँच के लिए आपका नाम भेजा जा चुका होगा। आप को बस प्रवासन मेडिकल सेवा प्रदायक (the Migration Medical Services Provider) द्वारा बताए क्लिनिक में जाना होगा।

### यदि मेरे स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन होता है तो क्या होगा?

यदि आपके स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन होता है तो आपके वीजा को कोई खतरा नहीं है। आवश्यक यह है कि अपने स्वास्थ्य वचन-पत्र का पालन करने के लिए आप बताए गए स्वास्थ्य अधिकारियों के पास जाएँ। विभाग चाहता है कि आपकी स्वास्थ्य समस्या का ठीक से इलाज किया जाए।

### मुझे स्वास्थ्य क्लिनिक क्यों जाना चाहिए?

अपने स्वास्थ्य वचन-पत्र का पालन करना ही आपके हित के लिए सबसे अच्छा होगा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार को आपके परिवार तथा ऑस्ट्रेलिया के समुदायों की रक्षा करने में सहायता देने के लिए स्वास्थ्य वचन-पत्र में सहयोग देना अत्यावश्यक है।

### गोपनीयता के विषय में आवश्यक जानकारी

गोपनीयता अधिनियम 1988 में 13 ऑस्ट्रेलियाई गोपनीयता सिद्धांत शामिल हैं जो विभाग द्वारा व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित और प्रबंधित किए जाने के तरीके को विनियमित करते हैं। विभाग व्यक्तिगत जानकारी का संग्रहण, प्रयोग और प्रकटीकरण अपने मुख्य कार्यों के लिए कैसे करता है, इससे जुड़ी जानकारी फॉर्म 1442i गोपनीयता नोटिस में पाई जा सकती है। विभाग के सामान्य सूचना प्रबंधन अभ्यासों (फॉर्म 1442i सहित) के बारे में और अधिक जानकारी विभाग की गोपनीयता नीति में पाई जा सकती है:

<https://www.homeaffairs.gov.au/access-and-accountability/our-commitments/privacy>

इस जानकारी पृष्ठ को अपने रिकॉर्ड के लिए संभाल कर रखें।





Australian Government

Department of Home Affairs

# Health undertaking

## स्वास्थ्य वचन-पत्र

Form

# 815 HIN

HINDI

Please read the information about your health undertaking on page 1 of this form.

Please use a pen, and write neatly in English using BLOCK LETTERS.

Tick where applicable

अपने स्वास्थ्य वचन-पत्र से संबंधित जानकारी कृपया इस फ़ार्म के पृष्ठ 1 पर पढ़ें।

कृपया पैन से अंग्रेज़ी में सफ़ाई से लिखें और अंग्रेज़ी के बड़े अक्षरों में लिखें।

जो सही है उस पर सही का निशान लगाएँ

### Your details

#### आपका विवरण

**1** Your full name  
आपका पूरा नाम

Family name  
कुलनाम

Given names  
दिया हुआ नाम

  

**2** Date of birth  
जन्म-तिथि

DAY दिन	MONTH महीना	YEAR वर्ष
/	/	

### Office use only

HAP ID

ICSE Client ID

**3** Do you have a passport?

क्या आपके पास पासपोर्ट है?

No

नहीं

Yes Give details

हाँ  विस्तार से बताएँ

Passport number

पासपोर्ट

Country of passport

पासपोर्ट मिलने का देश

Date of issue

पासपोर्ट जारी होने की तिथि

DAY दिन	MONTH महीना	YEAR वर्ष
/	/	

Date of expiry

पासपोर्ट समाप्त होने की तिथि

/	/	
---	---	--

Issuing authority/  
Place of issue as  
shown in your passport

पासपोर्ट जारी करने वाला  
प्राधिकरण / पासपोर्ट के  
अनुसार पासपोर्ट जारी करने  
का स्थान

  
  

**Note:** Most visa applicants will be required to hold a valid passport before they can be granted a visa. It is strongly recommended that the passport be valid for at least 6 months.

If you change your passport after you have been granted a visa you must notify the nearest Australian Visa Office or office of the Department.

**WARNING:** You will not be granted a visa without this information

**ध्यान दें:** अधिकतर प्रार्थियों को वीजा मिलने से पहले उनके पास वैध पासपोर्ट होना आवश्यक है। इस पर जोर दिया जाता है कि पासपोर्ट कम से कम 6 महीनों के लिए वैध हो।

वीजा मिलने के बाद यदि आप पासपोर्ट बदलते हैं तो आपके लिए अपने निकटतम ऑस्ट्रेलियाई वीजा कार्यालय या आप्रवासन व नागरिकता विभाग को सूचित करना अनिवार्य है।

**चेतावनी:** इस जानकारी के बिना आपको वीजा नहीं दिया जाएगा

#### 4 Contact details in Australia

**Note:** Give full residential address, including postcode and telephone number where possible. If you do not know what your address in Australia will be, you must give the name and address of a person in Australia who will know how to contact you (for example, a relative, a friend, your employer or a staff member at your proposed study institution).

ऑस्ट्रेलिया में संपर्क करने का विवरण

**ध्यान दें:** अपना पूरा पता, पोस्टकोड के साथ व यदि हो तो टेलीफोन नम्बर दें। यदि आपको नहीं मालूम कि ऑस्ट्रेलिया में आपका क्या पता होगा तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति का नाम व पता देना आवश्यक है जो जानता है कि आप से कैसे संपर्क किया जा सकता है (जैसे कि, रिश्तेदार, मित्र, आपका नियोक्ता या जहाँ आप जिस संस्था में पढ़ाई करने की सोच रहे हैं वहाँ के स्टाफ़ के किसी सदस्य का)।

Address  
पता

POSTCODE पोस्टकोड

Telephone numbers  
फ़ोन नम्बर

Office hours

कार्यालय का समय

AREA CODE (क्षेत्रीय कोड)
------------------------------

After hours

कार्य समय के बाद

AREA CODE (क्षेत्रीय कोड)
------------------------------

Mobile

मोबाईल

--

#### 5 Do you agree to the Department communicating with you by fax, email, or other electronic means?

क्या आप विभाग को आपसे संपर्क करने के लिए फ़ैक्स, इमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करने की अनुमति देते हैं?

No

नहीं

Yes

हाँ  **Give details**  
विस्तार से बताएँ

Fax number

फ़ैक्स नम्बर

AREA CODE (क्षेत्रीय कोड)
------------------------------

Email address

इमेल का पता

--

#### 6 Intended duration of stay in Australia

आपका ऑस्ट्रेलिया में कितने समय के लिए रुकने का इरादा है

permanent

स्थायी रूप से

temporary

अस्थायी रूप से  **Indicate length of stay in Australia**

ऑस्ट्रेलिया में आप कितने समय रहेंगे

months

महीने

weeks

सप्ताह

days

दिन

## Client undertaking

### क्लाईट वचन-पत्र

**WARNING:** Giving false or misleading information is a serious offence.

#### 7 I undertake the following:

- (for applicants outside Australia) to contact the Health Undertaking Service within 4 weeks of my arrival in Australia
- to report to the health clinic to which I am referred;
- to place myself under the health clinic's professional supervision and to undergo any required course of treatment, chest x-ray examination or investigation;
- to inform that health clinic each time I change my address in Australia throughout the period during which my health is being monitored;
- to inform that health clinic whenever I am about to leave Australia and to report upon my return, throughout the period during which my health is being monitored; and
- (for applicants outside Australia) to inform the Australian Visa Office where I lodged my application if, before my departure, I change my contact details.

**Note:** If you are an applicant under 16 years of age then a parent or guardian should sign this form.

**चेतावनी:** झूठी या बहकाने वाली जानकारी देना एक गम्भीर जुर्म है।

मैं निम्नलिखित का वादा करता/ती हूँ:

- (ऑस्ट्रेलिया के बाहर से आवेदन-पत्र भेजने वालों के लिए) मेरे ऑस्ट्रेलिया पहुँचने के 4 सप्ताह के अंदर स्वास्थ्य वचन-पत्र सेवा (HUS) से संपर्क करने के लिए;
- जिस राज्य या क्षेत्र के स्वास्थ्य क्लीनिक में मुझे भेजा जाएगा मैं वहाँ जाऊँगा/गी;
- स्वास्थ्य क्लीनिक के स्वास्थ्य अधिकारियों की व्यवसायिक देख-रेख में अपने को रखूँगा/गी और बताएँ सभी इलाज, छाती के एक्स-रे द्वारा जाँच या छानबीन करवाऊँगा/गी;
- जब तक मेरे स्वास्थ्य की देख-भाल की जा रही है, यदि मेरा पता बदलता है तो मैं हर बार स्वास्थ्य क्लीनिक को सूचित करूँगा/गी;
- जब तक मेरे स्वास्थ्य की देख-भाल की जा रही है, यदि मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ कर जाने वाला हूँगा/गी व वापस आने पर हर बार स्वास्थ्य क्लीनिक को सूचित करूँगा/गी; तथा
- (ऑस्ट्रेलिया के बाहर के आवेदकों के लिए) ऑस्ट्रेलिया वीजा कार्यालय को यह सूचित करने के लिए मैंने अपना आवेदन कहाँ जमा किया है, यदि अपने प्रस्थान से पहले मैंने अपने संपा विवरण बदले हों तो।

**ध्यान दें:** यदि आवेदन-पत्र भेजने वाला 16 वर्ष से छोटा है तो माता-पिता या अभिभावक को इस फ़ार्म पर हस्ताक्षर करने होंगे।

Your  
signature  
आपके हस्ताक्षर

Date  
तिथि

DAY दिन	MONTH महीना	YEAR वर्ष
/	/	/

If signing on behalf of a child under 16 years of age –  
Name of parent or guardian

यदि 16 वर्ष से छोटे बच्चे के लिए हस्ताक्षर कर रहे हैं तो –  
माता-पिता या अभिभावक का नाम

Relationship  
to child

बच्चे से संबंध

## Consent for release of health information स्वास्थ्य जानकारी जारी करने की अनुमति

8 As a part of the health undertaking the Department and state and territory health authorities and the relevant health clinic need to release health information to each other. Information will only be released if it relates to the visa and will be strictly guided by the *Privacy Act 1988*.

I consent to the Department disclosing my personal information to state and territory health authorities and the relevant health clinic for the purpose of monitoring this health undertaking.

I consent to authorise the state and territory health authorities and the relevant health clinic to disclose to the Department:

- the result of the health examination that I will attend; and
- information about any follow-up treatment required.

**Note:** If you are an applicant under 16 years of age then a parent or guardian should sign this form.

स्वास्थ्य वचन-पत्र के अंश के रूप में विभाग को राज्य तथा क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों व संबंधित स्वास्थ्य क्लीनिक को आपस में एक दूसरे को मेडिकल जानकारी बतानी पड़ती है। जानकारी तभी बताई जाएगी यदि उसका वीजा से संबंध है तथा उसे *गोपनीयता अधिनियम 1988 (Privacy Act 1988)* के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा।

इस स्वास्थ्य वचन-पत्र की जाँच करने हेतु, मैं विभाग को अनुमति देता/ती हूँ कि वह राज्य तथा क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों व संबंधित स्वास्थ्य क्लीनिक को मेरी निजी जानकारी बता सकते हैं।

मैं राज्य तथा क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों व संबंधित स्वास्थ्य क्लीनिक को अनुमति देता/ती हूँ कि वह विभाग को निम्नलिखित बता सकते हैं:

- मैं जो भी स्वास्थ्य संबंधी जाँच करवाऊँगा/गी उसका परिणाम; तथा
- जिस इलाज को जारी रखने की आवश्यकता होगी उससे संबंधित जानकारी।

**ध्यान दें:** यदि आवेदन-पत्र भेजने वाला 16 वर्ष से छोटा है तो माता-पिता या अभिभावक को इस फ़ार्म पर हस्ताक्षर करने होंगे।

Your  
signature  
आपके हस्ताक्षर

Date  
तिथि

DAY दिन	MONTH महीना	YEAR वर्ष
/	/	/

If signing on behalf of a child under 16 years of age –  
Name of parent or guardian

यदि 16 वर्ष से छोटे बच्चे के लिए हस्ताक्षर कर रहे हैं तो –  
माता-पिता या अभिभावक का नाम

Relationship  
to child

बच्चे से संबंध

**You should keep a copy of your signed health undertaking.**

**आपको अपने वचन-पत्र की एक कॉपी अपने पास अवश्य रखनी चाहिए।**